

101
2318

रसीद दस्तावेज वैग्रह

मुकाम

72

2372

दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत
या दस्तखत की तारीख या किस्म जो
मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो
जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो
उसके ऊपर लिखी हुई इवारत

तादाद
फीस (अगर
हो तो)
दाखिल शुदा

रजिस्ट्री
के
ओहदेदार
के छोटे
दस्तखत

2 3 4

रसीद

क्रमांक 144319
R. 2886

6400 -

उप-पंजीयक

अधिकारी

प्रधिकारी

प्रधिकारी

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

स्टाम्प रुपये— 8500/-

इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा
भूखण्ड क्रमांक 261-बी का लीजडीड

सदर्म क्रमांक :— 10321212

G 661878

प्लाट के प्रीमियम की राशि रुपये :— 1,44,319/-
सालाना लीज का आकार रुपये :— 2,886/-

261 House

जावक क्रमांक 29


दिनांक - 5 JAN 2012

इन्दौर विकास प्राधिकारी तथा शर्मदा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित इन्दौर के
मध्य प्राधिकारी के सकल्प क्रमांक 9 दिनांक 31.01.86 के अंतर्गत निष्पादित अनुबंध दिनांक
28.06.1997 में निहित शर्तों के अनुसार संस्था द्वारा अपने सदस्यों को भूखण्ड आवंटन एवं
लीजडीड पंजीयन करने हेतु सुचित किया होने से योजना क्रमांक 103 का भूखण्ड क्रमांक
261-बी का कब्जा प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20.07.11 को श्री आशीष पिता श्री मोहनलाल जी
निवासी 7, नूसिंग बाजार, इन्दौर म.प्र. (जो कि उक्त संस्था के सदस्य है) को प्रथम 30 वर्ष के
लिये इन्दौर विकास प्राधिकारी द्वारा लीज पर आवंटित कर उसका कब्जा सौंपा जा चुका है।
उक्त भूखण्ड की चतु: सीमा निम्नानुसार है तथा उसे संलग्न साईट प्लान में लाल रंग की
रेखाओं से दर्शाया गया है। उक्त भूखण्ड सामने 9.00 मीटर, पीछे 9.00 मीटर, एक बाजू 15.00
मीटर, दूसरी बाजू 15.00 मीटर के नाप का होकर प्लाट का कुल क्षेत्रफल 135.00 वर्गमीटर
है।

.....2.

Aslih
Anant

कृपया अधिकारी द्वारा संलग्न
साईट प्लान की सुनिश्चितता की जाए।



1199 नं 120/
17/11/2011

100/- रुपये 85/-

प्रथम पात्र द्वारा दिया गया अधिनियम को लिखा


(द्वितीय उपकारी नाम)

द्वितीय पात्र द्वारा दिया गया अधिनियम को लिखा

(द्वितीय उपकारी नाम)

लिखा

द्वितीय पात्र



द्वितीय पात्र
स्टेम्प बेंचर (म) ७५५२५२६३००

17, राजस्थान सालोनी, दृष्टिकोण, राजस्थान

ग्राम अधिनियम के अन्तर्गत शुद्धक रुपक
द्वारा नियम अधिनियम के अन्तर्गत शुद्धक - 7938-

द्वितीय अधिनियम के अन्तर्गत शुद्धक - 397-

शुपकर अधिनियम के अन्तर्गत शुद्धक -

इतिरिक्षण अधिनियम

शुद्धक रुपक

- 165 -

दोनों - 2 8500/-

द्वारा दिया गया

मात्रा 801 मीट्रिकलाइ

हारा उपजिला इन्दौर

जिला इन्दौर के उप पंचायत - १०/१२

कार्यालय में तारीख - ३/१०

द्वारा दिया गया - ३/१०

अनुमति किया गया।

द्वारा दिया गया।

✓
Anumati
Anumati



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 661879

-2-

प्लाट की चतु: सीमा :

पूर्व में	:- भूखण्ड क्रमांक बी-260 योजना क्रमांक 103
पश्चिम में	:- भूखण्ड क्रमांक बी-262 योजना क्रमांक 103
उत्तर में	:- 18.00 मीटर वाईड रोड
दक्षिण में	:- भूखण्ड क्रमांक बी-252 योजना क्रमांक 103

उक्त चतु: सीमा के बीच की 135.00 वर्गमीटर भूमि का प्रीमियम रुपये 1,44,319/- (अक्षरी रुपये एक लाख चवालीस हजार तीन सौ उन्नीस मात्र) निर्धारित किया है तथा प्रीमियम की राशि पर 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष के मान से लीजरेंट रुपये 2886/- (अक्षरी रुपये दो हजार आठ सौ छियासी रुपये मात्र) निर्धारित किया है।

भूखण्ड प्राधिकारी की सामान्य शर्तों पर 30 वर्षों की लीज पर रहवासी उपयोग के लिए दिया गया है तथा लीजरेंट की राशि लीजगृहिता द्वारा प्रति वर्ष अग्रिम देय है। प्रीमियम की राशि तथा प्रथम वर्ष का लीजरेन्ट लीजगृहिता द्वारा उपरोक्त गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा प्राधिकारी कार्यालय में जमा किया जा चुका है।

शर्ते :-

- उपरोक्त भूखण्ड प्राधिकारी द्वारा प्रथमतः 30 वर्ष की लीज पर लीजगृहिता को आवासीय उपयोग हेतु आवंटित किया गया है, उसके बाद सदरलीज का नवीनीकरण 30-30 वर्ष की अवधि के लिए दो बार किया जा सकेगा। प्रत्येक नवीनीकरण के समय 50 प्रतिशत तक लीजरेन्ट प्रत्येक बार प्राधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकेगा। प्रत्येक नवीनीकरण के समय प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह ऐसी अतिरिक्त शर्तें/नियम/विनियम आरोपित करें या वर्तमान शर्तों में संशोधन करे जो वह उचित समझे।3....


Aish
Agreement

लीजरेन्ट प्राधिकारी के
द्वारा दिक्त शास्त्रिक
.....

1200
17/11/2011

(५)

रामगंग के लिए दोहरा उत्तर
 2/10-11 नं. रामगंग में विजय सु. ब.
 14/7/03। यह दोहरा उत्तर क्रमांक
 इ पंजीकृत दस्तावेज़ की वज़न 1050 ग्र है
 इम्बदा अधि. एवं विजय के नामदाता श. वर्ष II
 श्री ए. एल. एवं श्री ए. एल. एवं श्री ए. एल. एवं
 श्री ए. एल. एवं श्री ए. एल. एवं श्री ए. एल. एवं श्री ए. एल.



(६) अश्रु राम विठ्ठलाळ

७ दृष्टिंग रामार १०१८

देवेंद्र वाघमारे

स्टॉप वेन्डर (M) 9302529300
 17, राजखानी कॉलोनी, छत्तीसगढ़, झंडौर

इनकार करते हैं कि तथाकथित
 लीष्टिंग का विचारन बिधा
 विधायक द्वारा दोहरा उत्तर के द्वारा दिया गया है।
 इनकार करते हैं कि तथाकथित
 लीष्टिंग का विचारन बिधा
 विधायक द्वारा दोहरा उत्तर के द्वारा दिया गया है।
 इनकार करते हैं कि तथाकथित
 लीष्टिंग का विचारन बिधा
 विधायक द्वारा दोहरा उत्तर के द्वारा दिया गया है।
 इनकार करते हैं कि तथाकथित
 लीष्टिंग का विचारन बिधा
 विधायक द्वारा दोहरा उत्तर के द्वारा दिया गया है।

① अश्रु राम विठ्ठलाळ पाणी

प-६ फिल्ड रामार १०१८ १०१८

② अश्रु राम विठ्ठलाळ पाणी

७ दृष्टिंग रामार १०१८

इनकार करते हैं कि तथाकथित
 लीष्टिंग के द्वारा दोहरा उत्तर
 दिया गया है।

इनकार करते हैं कि तथाकथित
 लीष्टिंग के द्वारा दोहरा उत्तर
 दिया गया है।





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 671392

-3-

1-ए. लीजडीड की प्रथम अवधि दिनांक 20.07.2011 से प्रारंभ होकर दिनांक 19.07.2041 तक कुल 30 वर्ष तक रहेगी। इस अवधि के पश्चात प्राधिकारी द्वारा यदि लीजडीड की अवधि आगामी 30 वर्ष के लिये बढ़ायी जाती है तो लीजगृहिता द्वारा स्वयं के व्यय पर नया लीज विलेख/लीजडीड निष्पादित करवाकर उसे विधिवत् पंजीकृत किराया जाना लीजगृहिता पर बंधनकारक रहेगा।

2. यह कि, उक्त भूखण्ड का कब्जा दिनांक 20.07.2011 को मौके से प्राप्त किया गया है। लीजगृहिता भूखण्ड के कब्जा प्राप्ति के दिनांक से 6 माह की अवधि में भवन निर्माण का नक्शा नगर निगम से स्वीकृत करवाकर स्वीकृत नक्शे की एक प्रति भवन निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व प्राधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार कब्जा प्राप्ति के दिनांक से 4 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण करके उसकी लिखीत सूचना भी प्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। नक्शा स्वीकृत किए बिना कोई भी निर्माण कार्य लीजगृहिता द्वारा नहीं किया जावेगा तथा ऐसा प्रत्येक निर्माण कार्य जो स्वीकृत नक्शे के विपरीत हुआ है उसे अनाधिकृत माना जावेगा। निर्धारित सम्यावधि में भवन निर्माण नहीं होने पर लीज निरस्त कर पुनः प्रवेश का अधिकार प्राधिकारी को रहेगा। भवन निर्माण का नक्शा भूखण्ड के आवटन आदेश तथा लीजडीड में उल्लेखित प्रस्तुति के अनुरूप होना अनिवार्य है। कब्जा देने के दिनांक से लीजगृहिता भूखण्ड के संरक्षण के लिए स्वयं उत्तरदायी रहेगा। इस प्रकार आवासीय उपयोग के विरुद्ध कि गया उपयोग आवंटन की शर्तों का उल्लंघन माना जाकर प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर भूखण्ड का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

3. यह कि आवंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण एवं उपयोग समय समय पर प्रभावशील एवं प्रचलित इन्चौर नगर के मास्टर प्लान (अंगीकृत विकास योजना) झोनल प्लान एवं झोनिंग रेग्यूलेशन एवं भूमि विकास नियम के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकार्य प्राप्त करने एवं अन्य कार्यवाही करने का दायित्व लीजगृहिता का रहेगा।

.....4.....

*Adit
Anuradha*
राज्य विकास प्राधिकारी, इन्दौर
CL

1201
17/11/2011

प्राचीन विद्यालय कालेज पाठ्य संस्था
दिल्ली राज्य विश्वविद्यालय के अधीन सु. अ.
2/13-14, नई दिल्ली, दिल्ली 110002
31/10/2011 को दिल्ली राज्य विश्वविद्यालय
इन परिकल्पना को लिखने वाली है। इस रखणा
सम्पदा विभाग, दिल्ली राज्य विश्वविद्यालय, दिल्ली 110002
ग्रीष्म परियोगी विभाग, दिल्ली राज्य विश्वविद्यालय, दिल्ली 110002
प्राचीन विद्यालय कालेज पाठ्य संस्था, दिल्ली 110002

WPS
10/12

31/10/11 10/12

प्राचीन विद्यालय
कालेज पाठ्य संस्था
दिल्ली 110002



देवेंद्र यादव

स्टॉन्प केन्द्र (M) 9302529306
17, राजस्वशासन कॉलोनी, छत्तीसगढ़, इंदौर

31/10/11 10/12

प्राचीन विद्यालय
कालेज पाठ्य संस्था
दिल्ली 110002

✓ Ashish
Kumar

✓

✓ बिहारी साह



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 671393

-4-

4. यह कि इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना में पानी की सप्लाई हेतु बाहरी पार्झप लाईन की व्यवस्था अपने खर्च से करेगा, किन्तु भवनों के अंदर लीजगृहिता चाहे तो उसकी लागत पर पार्झप कनेक्शन दिया जावेगा उक्त लागत इन्दौर विकास प्राधिकारी के इंजीनियर द्वारा निश्चित की जावेगी। पानी सप्लाई में रुकावट या किसी कारण से सप्लाई नहीं हो पाने पर लीजगृहिता इन्दौर विकास प्राधिकरण के विरुद्ध किसी प्रकार का कलेम करने का अधिकारी नहीं होगा।

5. यह कि लीजगृहिता को प्रतिवर्ष का देय लीजरेंट निर्धारित तारीख तक आवश्यक रूप से जमा करना होगा। लीजरेंट एवं भूखण्ड की अन्य कोई भी देय राशि 6 माह से अधिक समय तक बकाया रहने पर प्राधिकारी को लीज निरस्त करने का एवं बकाया राशि भू-राजस्व के रूप में वसूल करने का अधिकार होगा।

6. यदि लीजगृहिता आवंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण एवं उपयोग उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत स्वीकृत उद्देश्य हेतु करने में असमर्थ रहता है तो उसे भूखण्ड प्राधिकारी को समर्पित करना होगा। ऐस स्थिति में प्रीमियम की जो रकम जमा की गई है, उसमें से 20 प्रतिशत रकम काटकर शेष रकम प्राधिकारी द्वारा लीजगृहिता को वापस की जा सकेगी। लीजरेंट की रकम किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जावेगी।


7. यह कि प्लाट पर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण किए बिना उक्त प्लाट को लीजगृहिता द्वारा किसी प्रकार से हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होगा। प्लाट पर भवन निर्माण हेतु प्लाट किसी वित्तीय संस्था, बैंक इत्यादित के पास यदि गिरवी रखना आवश्यक है तो उसके लिए लीजगृहिता द्वारा प्राधिकारी को आवेदन करने का पर इसके लिए नियमानुसार शुल्क जमा करने पर तथा प्रतिवर्ष लीजरेंट जमा करने का भार सर्वोपरि रखने की शर्त पर इजाजत दी जा सकेगी।

.....5....


संपदा वित्तिकारी ब्रैड-2,
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर
One -

1202
12/11/2011

लिंग



देवेन्द्र काश्यारे
स्टॉम्प केंद्र (M) 9302529300
17, राजस्वामी कोटी, छवीबाग, इंदौर





मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 671394

-5-

8. यह कि, लीजगृहिता को प्लाट एवं उस पर निर्मित मकान का गंदा पानी भूमिगत गटर से संबद्ध करना होगा एवं उसके लिए नियमानुसार कनेक्शन चार्जस प्राधिकारी को जमा करना होगा। जहाँ भूमिगत गटर चालू नहीं है वहाँ लीजगृहिता स्वयं से सेप्टिक टॅक का निर्माण करेगा। इसी प्रकार लीजगृहिता को नल कनेक्शन भी नियमानुसार नगर निगम से प्राप्त करना होगा।

9. यह कि, लीजगृहिता द्वारा प्लाट पर बगैर सक्षम अधिकारी के स्वीकृति कुँआं आदि नहीं खोद सकेगा।

10. यह कि लीजगृहिता शासकीय कर, डायवर्शन टेक्स एवं डायवर्शन प्रीमियम देय एवं नगर निगम को कर तथा अन्य कर नियमानुसार समय समय पर अदा करेगा।

11. यह कि, लीजगृहिता प्लॉट पर अथवा प्लाट पर निर्मित भवन पर घास, भूसा, रुई, लकड़ी, कोखला इत्यादि। सहज में आग पकड़ने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं कर सकेगा।

12.अ यह कि आवंटित भूखण्ड मय भवन के किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करता है तो विक्रय के पूर्व प्राधिकारी में नियमानुसार हस्तांतरण शुल्क जमा कराकर विक्रय की अनुमति प्राप्त करेगा। प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बगैर विक्रय किया जाता है तो ऐसी स्थिति में नियमानुसार देय हस्तांतरण शुल्क के बराबर ही पेनल्टी देय होगी।

ब. आवंटन दिनांक से एक वर्ष तक भूखण्ड का विक्रय नहीं किया जा सकेगा एवं आवंटन दिनांक से एक वर्ष पश्चात ही हस्तांतरण की अनुमति दी जा सकेगी।

13. यह कि लीजगृहिता प्लाट की नप्ती पुनः करना चाहे तो उसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

.....6....


[Handwritten signatures and marks]

संपर्क विभागीय वैदेय-३,
इन्दौर नगर निगम एवं दर्ता

Ge


31/12/11 S.M.U.C

Temporary
Shed



17, గుంతులు గుంటులు, డిల్మాన్, రాజీవ్
గాంధీ నగర్ (M) 0002629300

add address



Lm7

1203 19/11/2011



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 671395

-6-

14. यह कि, लीजगृहिता लीजडीड का रजिस्ट्रेशन आवश्यक स्टाम्प पर अपने खर्च से करवाएगा तथा रजिस्ट्रेशन के पश्चात रजिस्टर्ड लीजडीड की फोटोकापी 30 दिन के अंदर प्राधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा ।

15. यह कि लीज की समाप्ति के लिए लीज की मासिक अवधि की मानकर 15 दिन की अवधि के सूचना पत्र द्वारा लीज समाप्त किया जा सकेगा ।

16. यह कि उक्त शर्तों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत बनेव्ययन नियमों तथा प्राधिकारी द्वारा निर्मित संपत्ति के अंतरण एवं व्ययन नियम जो वर्तमान में प्रचलित है का लीजगृहिता को ज्ञान है एवं ये समस्त शर्तें लीजगृहिता पर बंधनकारक हैं । शासन एवं प्राधिकारी द्वारा भविष्य में समय समय पर नियमों एवं विनियमों में किए गए संशोधन भी लीजगृहिता पर बंधनकारक होंगे और उसका पालन लीजगृहिता को करना होगा ।

17. यह कि किसी भी शर्त का उल्लंघन लीजगृहिता द्वारा किए जाने पर लीज निरस्त की जावेगी एवं प्रीमियम की जो भी रकम होगी वह प्राधिकारी द्वारा जप्त की जावेगी एवं उक्त प्लॉट पेटे जमा लीज की रकम किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लौटाई जावेगी ।

18. यह कि, लीजरेंट अथवा कोई भी मांग किसी भी समय बकाया रहने पर एवं उक्त लीजरेंट या मांग देय दिनांक से एक केलेण्डर माह पश्चात तक जमा नहीं करने अथवा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने या पालन नहीं करने की दशा में उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने या पालन नहीं करने की दशा में उपरोक्त शर्तों के अलावा भी प्राधिकारी को भूखण्ड पर पुनः प्रवेश का अधिकारी होगा, मानो यह लीजडीड संपादन नहीं की गई हो, प्राधिकारी को ऐसी स्थिति में पुनः प्रवेश की तिथि से 3 माह पश्चात भूखण्ड पर के समस्त भवन एवं निर्माण कार्य हटाने का अधिकार होगा ।


.....7.....

संपदा अधिकारी ग्रेड-2
इन्डोर राज्य प्राधिकारी, इन्डोर

Asish
Agrawal

1204
17/11/2011

2011



देवी
स्टॉम्प बैचर (M) 9302529300
17, राजस्वानि फॉलोनी, छत्तीबाग, इंदौर

उप पञ्चिक कार्यालय, इंदौर (18)

7 - JAN 2012

2318

दस्तावेज अ/..... (18)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 671396

-7-

19. प्रीमियम की राशि का निर्धारण वर्तमान विकास लागत, भूमि मुआवजा आदि मदों का समावेश करते हुए किया गया है। शासन के आदेश क्रमांक एफ-३/३९/३२/८५ दिनांक 02. 07.1997 द्वारा बाह्य विकास शुल्क संबंधी आदेश दिनांक 28.11.1985 स्थगित कर दिया होने से भूखण्डों की प्रीमियम में बाह्य विकास शुल्क की राशि सम्मिलित नहीं की गई है, किन्तु भविष्य में शासन आदेश दिनांक 2/7/1997 शासन द्वारा समाप्त किए जाने की स्थिति में बाह्य विकास शुल्क की राशि भूखण्डों की प्रीमियम में सम्मिलित की जावेगी। इसी प्रकार भविष्य में प्रीमियम की गणना में सम्मिलित किसी भी मद की राशि में वृद्धि होती है तो पुनरीक्षित प्रीमियम एवं लीजरेंट की राशि के भुगतान का दायित्व आपका एवं संस्था का संयुक्त रूप से तथा पृथक पृथक रूप से रहेगा, किन्तु पुनरीक्षित प्रीमियम एवं लीजरेंट के भुगतान का प्रथमतः दायित्व आप सदस्य का ही रहेगा।

20. यह कि, उपरोक्त लीजडीड में जहां जहां प्राधिकारी शब्द का प्रयोग किया गया है वहां इन्दौर विकास प्राधिकरण के उत्तराधिकारी का भी समावेश होगा इसी प्रकार लीजगृहिता शब्द में उसके उत्तराधिकारी का भी समावेश है ऐसा माना जावेगा।


21. प्रीमियम की दर में भविष्य में वृद्धि होने पर उक्त राशि लीजगृहिता को जमा करना होगी, साथ ही तदनुसार अनुपूरक लेख लिखा जावेगा, उस पर मुद्रांक एवं पंजीयक शुल्क अदा करना अनिवार्य होगा।

.....8.....

मध्य प्रदेश प्राधिकारी ग्रेड-2,
इन्दौर विकास प्राधिकारी, इन्दौर

1205
17/11/2011

२५३०८



देन्हर मिल्लियारे
स्टॉन्प देन्हर (M) ९३०२५२९३००
१७, राजस्वग्राम कॉलोनी, इंदौर

उप पञ्चीयक कार्यालय, इंदौर (म.प्र.)

7 - JAN 2012

2318

दस्तावेज नं. A1/.....(16)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

G 671397

-8-

यह लीजडीड उभय पक्षों के बीच स्वस्थ बृद्धि की अवस्था में स्वेच्छा से संपादित की गई ताकि वक्त ज़रूरत काम आये ।

गवाह :-

1 नाम Vishal Gary
पिता Caroline Gary
पूर्ण पता P-6 Mahanik Nagar

हस्ताक्षर लीजगृहिता

2 नाम 31305 Smt
पिता 31305 Smt
पूर्ण पता 31305 Smt


हस्ताक्षर लीजदाता
इन्द्र विकास प्राधिकारी
इन्द्र



संपदा विकास घोड़-2,
इन्द्र विकास प्राधिकारी, इन्द्री

1206
17/11/2011

20M17



देवेन्द्र शाहमारे
स्टॉम्प केन्द्र (M) 9302529300
17, राजरव्याम फॉलोमी, छत्रीवाल, इन्दौर

उप पञ्जीयक कार्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

7 - JAN 2012

2318 -
दस्तावेज क्र. A1/ (16)



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH


A 981795

✓
Ashish
Kumar

मध्य प्रदेश सरकारी भैठ-2,
इंदौर विकास प्राधिकारी, इंदौर

(20)
17/11/2011

रामेश



21 OCT 2011

07/01/12

११
४३४ ९ २३१८
६५-७३



—
—



ग्राहक गुलक — ६३७५—
राजीयन गुलक —
इष्टकाल गुलक — २५—
प्रथमा गुलक — ६४९०१—
दस ग्राहक. —
—

—
—